

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी- श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

बत्तीलाल पुत्र किशनलाल जाति मीना निवासी नारौली तहसील सपोटरा जिला करौली	दावा	ता0दायरा	ता0फाईनल निर्णय
ख0नं0 92		16.10.15	28.12.17

बत्तीलाल पुत्र किशनलाल जाति मीना निवासी नारौली तहसील सपोटरा जिला करौली

बनाम

1. हरि | पि0 दुर्गालाल जाति मीना निवासी नारौली तहसील सपोटरा
2. परसराम | जिला करौली राजस्थान।
3. पंखी |
4. शाखा प्रबन्धक पी.एन.बी. शाखा अमरगढ तहसील सपोटरा
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सपोटरा जिला करौली (राजस्थान)

-प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0एक्ट

स्थित:- श्री शेरसिंह वकील वादी।

संक्षेप में वाद तथ्य वादी इस प्रकार से है कि ग्राम नारौली तहसील सपोटरा जिला करौली विवादित वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त आराजीयात का बंटवारा बाबत किया गया दावा इस न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय दिन 06.06.2016 द्वारा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार सपोटरा से बंटवारा स्कीम तलब की गई। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्राथमिक निर्णय की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अर्पण अधिकारी सवाई माधोपुर में किये जाने के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21.08.2017 से अपील अपीलांट खारिज की जाकर इस न्यायालय के प्राथमिक निर्णय को यथावत रखा है। इसलिए प्राथमिक निर्णय के अनुसार तहसीलदार सपोटरा से बंटवारा स्कीम तलब की गई।

तहसीलदार सपोटरा के पत्रांक एलआर/17/3504 दिनांक 30.11.2017 द्वारा बंटवारा स्कीम प्राप्त हुई, अवलोकन किया गया। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी भी मुताबिक बंटवारा स्कीम दावा वादी फाईनल डिक्री किये जाने हेतु सहमत है। अतः दावा वादी मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है।

1. बत्तीलाल पुत्र किशनलाल जाति मीना सा.देह खातेदार के हिस्से में ख0नं0 92 रकबा 19 बिस्वा, ख0नं0 1126 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं. 1143 रकबा 04 बिस्वा, ख0नं0 1148 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, ख0नं0 1153 रकबा 07 बिस्वा कुल किता 5 का कुल रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा रहेगा।
2. हरि, परसराम, पंखी पिसरान दर्गालाल जाति मीना सा.देह खातेदार जाति मीना निवासी नारौली तहसील सपोटरा जिला करौली

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0एक्ट


स्थित:- श्री शेरसिंह वकील वादी।

संक्षेप में वाद तथ्य वादी इस प्रकार से है कि ग्राम नारौली तहसील सपोटरा में आराजी विवादित वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात का बंटवारा बाबत किया गया दावा इस न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय दिनांक 09.06.2016 द्वारा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार सपोटरा से बंटवारा स्कीम तलब की गई। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्राथमिक निर्णय की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर में किये जाने के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21.08.2017 से अपील अपीलांट खारिज की जाकर इस न्यायालय के प्राथमिक निर्णय को यथावत रखा है। इसलिए प्राथमिक निर्णय के अनुसार तहसीलदार सपोटरा से बंटवारा स्कीम तलब की गई।

तहसीलदार सपोटरा के पत्रांक एलआर/17/3504 दिनांक 30.11.2017 द्वारा बंटवारा स्कीम प्राप्त हुई, अवलोकन किया गया। वकील वादी एवं वकील वादी भी मुताबिक बंटवारा स्कीम दावा वादी फाईनल डिक्री किये जाने हेतु सहमत है। अतः दावा वादी मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है।

1. बत्तीलाल पुत्र किशनलाल जाति मीना सा.देह खातेदार के हिस्से में ख0नं0 925 रकबा 19 बिस्वा, ख0नं0 1126 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं. 1143 रकबा 04 बिस्वा, ख0नं0 1148 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, ख0नं0 1153 रकबा 07 बिस्वा कुल कित्ता 5 का कुल रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा रहेगा।
2. हरि, परसराम, पंखी पिसरान दुर्गालाल जाति मीना सा0 देह खातेदार राहिन पी. एन.बी. शाखा अमरगढ के हिस्से में खसरा नं0 925/1 रकबा 19 बिस्वा, ख0नं0 1126/1 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, ख0नं0 1143/1 रकबा 04 बिस्वा, ख0नं0 1149 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा कुल कित्ता 4 का कुल रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा रहेगा।

बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न ट्रेस डिक्री का जुज रहेगा। आराजी विवादित के लगान राशि के सात गुना पर 6 प्रतिशत की दर से देय स्टॉम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री जारी हो। निर्णय सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


(राजपाल यादव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा(करौली)